

न्यायालय सिविल जज, हरिद्वार।
मूलवाद संख्या – 214/2022
कम्प्यूटर नम्बर – 208/2022
नौशाद बनाम जसवन्त

- | | | | |
|----|-------------------------|---|------------------|
| 1. | प्रस्तुत करने का दिनांक | — | 01.08.2022 |
| 2. | वाद का प्रकार | — | डिक्री घोषणात्मक |
| 3. | वाद का मूल्यांकन | — | 831/— रु0 |
| 4. | वादी अधिवक्ता | — | श्री मनीष कुमार |
| 5. | प्रतिवादी अधिवक्ता | — | |

दिनांक— 01.08.2022

आज यह मूलवाद प्रबंधक आख्या सहित प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया। आदेश हुआ कि दर्ज रजिस्टर हो तथा प्रतिवादी के विरुद्ध समन वास्ते प्रतिवाद पत्र दिनांक 01.09.2022 तथा वास्ते तनकी हेतु दिनांक 12.09.2022 के लिए जारी हो। वादी पैरवी करे।

(जयश्री राणा)
सिविल जज, हरिद्वार।